369

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2013 निगरानी — R-275-II/13

R-275-II/13

श्रीमती रामकली पत्नी श्री सुखदेव बिहारी शुक्ला निवासी ग्राम बमीठा तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

.... आवेदिका

बनाम

1. काशीप्रसाद तनय रामदास शर्मा निवासी ग्राम बमीठा , तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्व न्यायालय कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 288/ अ–12/ 2009–10/ निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.10.2012 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

Shukdev Behari Shukla
21.01.13

महोदय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा तहसीलदार राजनगर के समक्ष सर्वे क्रमांक 657/ 1क/ 1 तथ 657/1क/2 के सीमाकंन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया आवेदिका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13/7/ 2010 को निरस्त किया गया।
2. यहकि, आवेदिका द्वारा विचरण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2011 के विरूद्व अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष निगरानी ... / निगरानी पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-275-दो/2013 जिला छतरपुर रामकली विरूद्ध काशीप्रसाद व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 288/अ-12/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 22-10-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-01-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

21.01.19

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.01.19
सदस्य